FROM: PENSION DEPARTMENT TO: DATE:
ORIENTAL HEAD OFFICE PENSION CELL 13/02/2019
NEW DELHI. ALL RO'S/ OSTC/ HO(ADMN.)

DEPTT.: PENSION

REF.: HO/PEN/01/2019/CR- 8220

Re.: DEARNESS RELIEF PAYABLE TO PENSIONERS W.E.F. 01/02/2019 TO 31/07/2019

As per the provisions of the General Insurance (Employees') Pension Scheme 1995, the Dearness Relief is payable to the eligible

Pensioners at All India Average Consumer Price Index of

6885

w.e.f. 1st day of Feb 2019. Consequently, the increased

Dearness Relief payable to the Pensioners from 01/02/2019 shall be as under:

A) (i) Pensioners who have retired on or before 31/07/1992 as Class III & IV employees and the pensioners who have retired on or before 31/03/1993 as Class I & II employees; and

(ii) Pensioners who have retired as Class III & IV during the period between 01/08/1992 to 31/10/1993 and Class I & II employees who have retired during the period between 01/04/1993 & 31/10/1993 and if they have exercised the option not to be governed by General Insurance (Employees') Pension (Third Amendment) Scheme, 1999.

		Basic Pe	nsion		No. of Slabs (Over AIACPI 600 in the series of 1960=100)			Dearness relief rate
Upto	,	1,250.00		A LANGE STORY	1571	1052.57%	of Ba	asic Pension
From		1,251.00	to	2,000.00	1571	13157.13	+	864.05% of Basic Pension in excess of 1,250.00
From	,	2,001.00	to	2,130.00	1571	19637.50	+	518.43% of Basic Pension in excess of 2,000.00
Above	,	2,130.00			1571	20311.46	+	267.07% of Basic Pension in excess of 2,130.00

B) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 1148 points of index or who have retired during the period from 01/11/1993 to 31/07/1997.

	Basic Pe	nsion		No. of Slabs (Over AIACPI 1148 in the series of 1960=100)				Dearness relief rate		
Upto	2,400.00			1434	501.90%	of Ba	sic Pension			
From	2,401.00	to `	3850.00	1434	12045.60	+	415.86%	of Basic Pension in excess of	,	2,400.00
From	3,851.00	to `	4100.00	1434	18075.57	+	243.78%	of Basic Pension in excess of	,	3,850.00
Above	4,100.00			1434	18685.02	+	129.06%	of Basic Pension in excess of		4,100.00

C) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 1740 points index or who have retired on or after 01/08/1997.

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 1740 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate
ull Basic Pension	1286	0.23% of Basic Pension

D) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2328 points index or who have retired on or after 01/08/2002.

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 2328 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate
Full Basic Pension	1139	0.18% of Basic Pension

E) Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 2944 points index or who have retired on or after 01/08/2007.

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 2944 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate
Full Basic Pension	985	0.15% of Basic Pension

Da. 2 9

contd....

Pensioners whose basic pension is calculated on revised scales of pay linked to 4709 points index or who have retired on or after 01/08/2012.

Basic Pension	No. of Slabs (Over AIACPI 4709 in the series of 1960=100)	Dearness relief rate
Full Basic Pension	544	0.10% of Basic Pension

G) Dearness relief payable on Ex-gratia to surviving pre-1986 retirees w.e.f. 01/02/2019 Dearness Relief Payable on Ex-gratia to eligible Pre-1986 retirees w.e.f. 01/02/2019 shall be `3684/-You are advised to release an amount of `4034/-(Ex-Gratia ` 350/- + D.A.` 3684/- pm) to all eligible Pre-1986 retirees from 01/02/2019 to 31/07/2019 payable on or after the 1st of the month following the month in which it becomes due. Please acknowledge

Source: Cir. HO/Pers/DA/2019/02/CR-8217 dated 06.02.2019

(HINDI VERSION FOLLOWS)

Dy. Gen Manager



प्रेषक: पेंशन विभाग प्रधान कार्यालय नई दिल्ली प्रति : पैंशन कक्ष, सभी क्षे.का/ओएसटीसी/ प्रधान कार्यालय (प्रशासन)

13/02/2019

दिनांक:

विभागः पैंशन

संदर्भ: प्र.का./पैंशन/01/2019/सीआर-

विषय: 01/02/2019 से 31/07/2019 तक पैंशन भोगियों को देय महागाई राहत ।

साधारण बीमा (कर्मचारी) पैंशन योजना 1995 के प्रावधानों के अनुसार 01.02.2019 से अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6885 के आधार पर पात्र पैंशनभोगियों को मँहगाई राहत देय है। परिणामस्वरूप बढ़ी हुई मँहगाई राहत पैंशनभोगियों को दिनांक 01/02/2019 से निम्न प्रकार से देय होगी:

- क. (1) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/07/1992 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए पैंशनभोगी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 31/03/1993 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए पैंशनभोगी तथा
 - (2) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/08/1992 से 31/10/1993 के बीच में सेवानिवृत्त हुए पैंशनभोगी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में 01/04/1993 से 31/10/1993 के बीच में सेवानिवृत्त हुए पैंशनभोगी और यदि उन्होंने साधारण बीमा (कर्मचारी) पैंशन (तृतीय संशोधन) योजना 1999 द्वारा अधिशासित न होने का विकल्प चुना है।

मूल पैंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100	मॅहगाई राहत दर
	की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 600 से अधिक)	
` 1250/- तक	1571	मूल पैंशन का 1005.67%
े 1251/- से ` 2000/- तक	1571	`12570.88 + ` 1250.00 से अधिक की मूल पैंशन का 825.55%
` 2001/- से ` 2130/- तक	1571	` 18762.50 + ` 2000.00 से अधिक की मूल पैंशन का 495.33%
`2130/- से अधिक	1571	` 19225.42 + ` 2130 से अधिक की मूल पैंशन का 255.17%

ख. पैंशनभोगी जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकांक के 1148 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/11/1993 से 31/07/1997 की अविध में सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पैंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100 की श्रृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 1148 से अधिक)	मॅहगाई राहत दर
` 2400/- तक	1434	मूल पैंशन का 477.40%
` 2401/- से ` 3850/- तक	1434	` 11457.60 + ` 2400 से अधिक की मूल पैंशन का 395.56%
` 3851/- से ` 4100/- तक	1434	` 17193.22 + ` 3850 से अधिक की मूल पैंशन का 231.88%
`4100/- से अधिक	1434	` 17772.92 + ` 4100 से अधिक की मूल पैंशन का 122.76%

ग. पैंशनभोगी जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकांक के 1740 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/1997 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पैंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100	मॅहगाई राहत दर
Constitution of the second of	की शृंखलाओं में ए आई ए सी पी आई 1740 से अधिक)	
पूर्ण मूल पैंशन	1286	मूल पैंशन का 0.23%

, घ. पैंशनभोगी जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकांक के 2328 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2002 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पैंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100	मँहगाई राहत दर
	की शृंखलाओं में ए आई ए	
	सी पी आई 2328 से अधिक)	
पूर्ण मूल पैंशन	1139	मूल पैंशन का 0.18%

पैंशनभोगी जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकांक के 2944 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 01/08/2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हए हैं:

मूल पैंशन	स्त्रैबों की संख्या (1960=100	मॅहगाई राहत दर
	की शृंखलाओं में ए आई ए	
	सी पी आई 2944 से अधिक)	
पूर्ण मूल पैंशन	985	मूल पैंशन का 0.15%

पैंशनभोगी जिनकी मूल पैंशन की गणना सूचकांक के 4709 अंकों से संबद्ध संशोधित वेतनमानों के आधार पर की गई है अथवा 핍. 01/08/2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं:

मूल पैंशन	स्लैबों की संख्या (1960=100	मॅहगाई राहत दर
	की शृंखलाओं में ए आई ए	
	सी पी आई 4709 से अधिक)	
पूर्ण मूल पैंशन	544	मूल पैंशन का 0.10%

वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित कर्मचारियों को अन्ग्रह राशि पर देय मंहगाई राहत दिनांक 01/08/2018 से प्रभावी:

01/02/2019 से वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले पात्र जीवित कर्मचारियों को अनुग्रह राशि पर देय मंहगाई राहत े 3684/- होगी। निर्देश है कि वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को `4034/- (`350/-अनुग्रह राशि + ` 3684/- प्रति माह मंहगाई राहत) की दर से 01/02/2019 से 31/07/2019 तक भ्गतान करें जो राशि देय होने के अगले माह की पहली तारीख या उसके पश्चात देय होगी। महाप्रबंधक अप महाप्रबंधक

कृपया पावती दें।

स्रोत: परिपत्र: एचओ/कार्मिक/डीए/2019/02/परि.8217 दिनांक 06.02.2019